

7/11/25 पत्रावली पेश हुई। वादी-जारीबादी आदि।  
उप.) पत्रावली वाले काफ़ी लम्बीपान  
हेतु दिनांक 20/11/25 को पेश हो।  
20/11/25

20/11/25 पत्रावली पेश हुई। वादी-जारीबादी आदि।  
पत्रावली वाले काफ़ी लम्बीपान  
को पेश हो।  
29/11/25

29/11/25 पत्रावली पेश हुई। वादी-जारीबादी आदि।  
उप.) पत्रावली में लम्बीपान काफ़ी लम्बी  
गई। पत्रावली वाले काफ़ी लम्बीपान हेतु  
दिनांक 30/11/25 को पेश हो।  
29/11/25

30/11/25 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधिकार  
अनुपस्थित। वादी एवं वादी आधिकार को  
नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गईं,  
परन्तु कोर्ट उपस्थित नहीं आया। वादी एवं  
वादी आधिकार को न्यायालय में पुनः एक  
बार आवाजें लगवाई गईं, परन्तु कोर्ट  
उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी आधिकार  
के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से  
वादी एवं वादी आधिकार द्वारा उद्धृत वाद  
अन्तर्गत धारा 188 एवं 92 वादस्थान कावतगरी  
आधिनियम को अदम टावरी। अदम पत्रावली  
में प्रारिक्त किया जाता है। निवेदन से इत्तलास  
सुनाया गया। रिक्ति प्रयोज्यारी हो।

पत्रावली पत्रावली शुभार होकर  
वादी एवं वादी लम्बीपान से कम हो।  
30/11/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. दल्ला पिता गोकल जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादी

1. भैरू पिता भूरा जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बद्री पिता भूरा जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. प्यारचंद पिता भैरू जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. डंकार पिता भैरू जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रामेश्वर पिता बद्री जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजू पिता बद्री जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. गोपाल पिता प्यारा जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. नारायण पिता भोलीराम जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. सुरेश पिता भोलीराम जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. लादू पिता बगता जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. सुरेश पिता लादू जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. मदन पिता लादू जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. सुवा पिता रामा जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. राजू पिता सुवा जी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92क आर0टी0एक्ट

स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

प्रकरण संख्या 43/2011 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना — इस वाद में आज तारीख 30.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 एवं 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी /अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
30/1/25  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा